संख्या/मा-II(1)/बे0 शि0/2002

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक एवं बेसिक,
2 सुभाष रोड़, देहरादून

मानव संसाधन विभाग देहरादून दिनांक 18 सितम्बर, 2002

विषयः सिन्थिया स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल को प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल स्तर तक श्रेणी "ब" की अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- शि0स0/8528-29/2002-2003 दिनांक 3-8-2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि सिन्थिया स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल को अंग्रेजी माध्यम प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल श्रेणी "ब" की अस्थाई मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने में आपत्ति नहीं हैः-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण समय-समय पर कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं होगा।

3- विद्यालय में नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे।

4- विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

5- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।

6- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम नहीं दिया जायेगा।

7- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी।

8- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

9- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं पर रखा जायेगा।

Manager.
Cynthia Sr. Sec. School
Chhoti Mukhani, Haldwani

Principal
CYNTHIA SR. SEC. SCHOOL
Chhoti Mukhani, Haldwani

..........2-

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त मान्यता वापस ले ली जायेगी।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या:मा-।। (।)/मा0शि0/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल-नैनीताल।
2- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल।
3- आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्धक, सिन्धिया स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

परिशिष्ट – दो

प्रपत्र – 2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम–17 को देखें

ई–मेल

दूरभाष

फैक्स

कार्यालय मुख्य शिक्षा नैनीताल, उत्तराखण्ड

पत्रांक :– 12984

दिनांक 30.3.13

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक

सिन्थिया स्कूल

मुखानी हल्द्वानी

विषय :– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमवली, 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 11-3-13 के क्रम में आपके विद्यालय सिन्थिया स्कूल, मुखानी, हल्द्वानी, ... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा–19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनूसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद .... नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 142 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम–18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Principal
CYNTHIA SR. SEC. SCHOOL
Chhoti Mukhani, Haldwani

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद – नैनीताल
उत्तराखण्ड